



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03072020-220364
CG-DL-E-03072020-220364

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 326]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 3, 2020/आषाढ़ 12, 1942

No. 326]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 3, 2020/ASADHA 12, 1942

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 3 जुलाई, 2020
आय-कर

सा.का.नि. 429(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 295 के साथ पठित धारा 194क, 194ज, 194ट, 194ठखक, 194ढ, 194ण, 197 क और 200 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (16वां संशोधन) नियम, 2020 है।
(2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- आय-कर नियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 31क के उपनियम (4) में,
(क) खंड (viii) में, “जिस पर कर की कटौती” शब्दों के पश्चात् “ या न्यूनतम दर पर कटौती” शब्द अतः स्थापित किए जाएंगे ;
(ख) खंड (ix) के स्थान पर 1 जुलाई, 2020 से निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(ix) संदत्त या जमा की गई रकम की विशिष्टिया देगा, जिस पर धारा 194इ के दूसरे परंतुक के अधीन जारी अधिसूचना को ध्यान में रखते हुए या धारा 194इ के तीसरे परंतुक में उपबंधित छूट को ध्यान में रखते हुए या धारा 194इ के चौथे परंतुक के अधीन जारी अधिसूचना को ध्यान में रखते हुए, कर की कटौती नहीं की गई थी या न्यूनतम दर पर कर की कटौती की गई थी;”;

(ग) खंड (ix) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :--

“(x) संदत्त या जमा की गई रकम की विशिष्टिया देगा, जिस पर धारा 194क की उपधारा (5) के अधीन जारी अधिसूचना को ध्यान में रखते हुए, कर की कटौती नहीं की गई थी या न्यूनतम दर पर कर की कटौती की गई थी ।

(xi) संदत्त या जमा की गई रकम की विशिष्टिया देगा, जिस पर धारा 194ठखक की उपधारा (2क) के अधीन कर की कटौती नहीं की गई थी ।

(xii) संदत्त या जमा की गई रकम की विशिष्टिया देगा, जिस पर धारा 197क की उपधारा (1घ) के खंड (क) या खंड (ख) को ध्यान में रखते हुए कर की कटौती नहीं की गई थी ।

(xii) संदत्त या जमा की गई रकम की विशिष्टिया देगा, जिस पर 2002 के बोर्ड के परिपत्र सं. 3, तारीख 28 जून, 2002 या 2002 के बोर्ड के परिपत्र सं. 11, तारीख 22 नवंबर, 2002 अथवा 2017 के बोर्ड के परिपत्र सं. 18, तारीख 29 मई, 2017 में निर्दिष्ट व्यक्तियों को प्रदत्त छूट को ध्यान में रखते हुए कर की कटौती नहीं की गई थी ।”

3. मूल नियमों के परिशिष्ट 2 में,

(I) प्ररूप 26 थ में—

(क) “[धारा 192क, 193, 194, 194क, 194ख, 194खख, 194ग, 194घ, 194घक, 194ङङ 194च, 194छ, 194ज, 194झ, 194ञ, 194ठक, 194ठखक, 194ठखख, 194ठखग, 194इ और नियम 31क देखिये]” कोष्ठकों, शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर “[धारा 192क, 193, 194, 194क, 194ख, 194खख, 194ग, 194घ, 194घक, 194ङङ 194च, 194छ, 194ज, 194झ, 194ञ, 194ट, 194ठक, 194ठखक, 194ठखख, 194ठखग, 194इ, 194ण, 197क और नियम 31क देखिये]” कोष्ठक, शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;;

(ख) “उपाबंध” के स्थान पर निम्नलिखित “उपाबंध” रखा जाएगा, अर्थात् :--

तारीख.....(दिन/मास/वर्ष) को समाप्त होने वाली तिमाही के दौरान संदत्त/जमा रकम और स्रोत पर काटे गये कर का विवरण

कटौतीकर्ता/संदायकर्ता का नाम	
टैन	

[illegible]

सत्यापन

मैं,....., सत्यापित करता हूँ कि ऊपर दी गई सभी विशिष्टियाँ सही और पूर्ण हैं।

स्थान:

.....

स्रोत पर कर की कटौती करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के हस्ताक्षर

तारीख:

.....

स्रोत पर कर की कटौती करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति का नाम और पदनाम

टिप्पण:

1. 'क' लिखें, यदि धारा 197 के अधीन प्रमाणपत्र के मद्दे 'न्यूनतम कटौती की गई है' या 'कटौती नहीं की गई है'।
2. 'ख' लिखें, यदि धारा 197क की उपधारा (1च) में उल्लिखित मामलों से भिन्न, धारा 197क के अधीन घोषणा के मद्दे कोई कटौती नहीं की गई है।
3. 'ग' लिखें, यदि कटौतीदार/पाने वाले द्वारा पैन न प्रस्तुत करने के मद्दे उच्च दर पर कटौती की गई है।
4. 'घ' लिखें, यदि धारा 194क की उपधारा (5) अधीन जारी अधिसूचना के मद्दे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को किए गए संदाय के मद्दे कोई कटौती नहीं की गई है या कम कटौती की गई है।
5. 'ङ' लिखें, यदि 2002 के बोर्ड परिपत्र सं. 3, तारीख 28 जून, 2002 या 2002 के बोर्ड परिपत्र सं. 11, तारीख 22 नवंबर, 2002 अथवा 2017 के बोर्ड परिपत्र सं. 18, तारीख 29 मई, 2017 में निर्दिष्ट व्यक्तियों को किए गए संदाय के मद्दे कोई कटौती नहीं की गई है।
6. 'च' लिखें, यदि आय-कर अधिनियम, 1961 में विनिर्दिष्ट थ्रेसहोल्ड सीमा से नीचे संदाय के मद्दे कोई कटौती नहीं की गई है।
7. 'न' लिखें, यदि परिवाहक होने पर कटौतीदार/पाने वाले के मद्दे कोई कटौती नहीं की गई है। कटौतीदार/पाने वाले का पैन आवश्यक है। [धारा 194ग(6)]
8. 'त' लिखें, यदि धारा 197क(1च) के अधीन अधिसूचित संदाय के मद्दे कोई कटौती नहीं की गई है या कम कटौती की गई है।
9. 'ड' लिखें, यदि धारा 194ड के दूसरे परंतुक के अधीन जारी अधिसूचना के मद्दे कोई कटौती नहीं की गई है या कम कटौती की गई है।*
10. 'ढ' लिखें, यदि या धारा 194ड के तीसरे परंतुक में निर्दिष्ट व्यक्तियों को किए गए संदाय के मद्दे या धारा 194ड के चौथे परंतुक के अधीन जारी अधिसूचना को ध्यान में रखते हुए कर की कटौती नहीं की गई है या न्यूनतम दर पर कर की कटौती की गई है।*
11. 'ण' लिखें, यदि धारा 194ठखक की उपधारा (2क) के उपबंधों के अनुसार कटौती नहीं की गई है।
12. धारा कोड की सूची निम्नानुसार है:

धारा	संदाय की प्रकृति	धारा कोड
192 क	कर्मचारी को देय संचयित अतिशेष का संदाय	192क
193	प्रतिभूतियों पर ब्याज	193
194	लाभांश	194
194क	प्रतिभूतियों पर ब्याज से भिन्न ब्याज	94क
194ख	क्रासवर्ड पजल्स और लाटरियों से जीती हुई रकम	94ख
194खख	घुड़दौड़ से जीती हुई रकम	4खख
194ग	संविदाकार और उप-संविदाकार को संदाय	94ग
194घ	बीमा कमीशन	94घ
194घक	जीवन बीमा पॉलिसी के संबंध में संदाय	4घक
194ङ-ङ	राष्ट्रीय बचत योजनाओं के अधीन जमा से संबंधित संदाय	4ङ-ङ
194च	म्युचुअल फंडों या यूटीआई की यूनिटों के पुनःक्रय की बाबत संदाय	94च
194छ	लाटरी के टिकटों के विक्रय पर कमीशन, पुरस्कार	94छ
194ज	कमीशन या दलाली	94ज
194-झ(क)	किराया	4-झक
194-झ(ख)	किराया	4-झख
194ज(क)	तकनीकी सेवाओं के फीस (जो वृत्तिक सेवाएं नहीं हैं), चलचित्र फिल्मों के विक्रय, वितरण या प्रदर्शन के लिए स्वामिस्व और कॉल सेंटर के लिए, दो प्रतिशत की दर पर	94ज-क
194ज(ख)	वृत्तिक सेवाओं या स्वामिस्व के लिए फीस (10 प्रतिशत की दर पर)	94ज-ख
194ट	यूनिटों के संबंध में आय	94ट
194ठक	कतिपय स्थावर सम्पत्ति के अर्जन पर प्रतिकर का संदाय	4ठक
194ठखक(क)	आवासिक यूनिट धारक की कारबार न्यास यूनिटों से ब्याज के रूप में कतिपय आय	4खक1
194ठखक(ख)	आवासिक यूनिट धारक की कारबार न्यास यूनिटों से लाभांश के रूप में कतिपय आय	4खक2
194ठख	विनिधान की यूनिटों के संबंध में आय	ठखख
194ठखग	प्रतिभूतिकरण न्यास के विनिधान के संबंध में आय	ठखग
*194ड	कतिपय रकम का नकद में संदाय	94ड

*194६ पहला परंतुक	नान-फाईलर्स को कतिपय रकम का नकद में संदाय	94६-च
#194-ण	ई-वाणिज्य प्रचालकों द्वारा ई-वाणिज्य सहभागियों को कतिपय राशियों का संदाय	94ण "

(II) प्ररूप 27थ में—

(क) “[धारा 194ड, 194ठख, (194ठखक, 194ठखख, 194ठखग), 194ठग 195, 196क, 196ख, 196ग, 196घ और नियम 31क देखिये] कोष्ठकों, शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर [धारा 194ड, 194ठख, (194ठखक, 194ठखख, 194ठखग), 194ठग, 194६, 195, 196क, 196ख, 196ग, 196घ, 197क और नियम 31क देखिये] कोष्ठक, शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;”;

(ख) “उपाबंध” के स्थान पर निम्नलिखित “उपाबंध” रखा जाएगा, अर्थात् :--

“उपाबंध: टीडीएस का पाने वाले के अनुसार विघटन

(मुख्य प्ररूप 27थ के क्रं. सं. 4 पर सारणी के प्रत्येक पंक्ति-मद के लिए प्रथक उपाबंध का प्रयोग करे)

तारीख.....(दिन/मास/वर्ष) को समाप्त होने वाली तिमाही के दौरान संदत्त/जमा रकम और स्रोत पर काटे गये कर का विवरण

शाखा का बीएसआर कोड/ प्ररूप सं. 24छ की प्राप्ति संख्या
चालान जमा करने तारीख/अंतरण वाउचर की तारीख (दिन/मास/वर्ष)
चालान क्रम संख्या/ प्ररूप 24छ डीडीओं क्रम संख्या
चालान के अनुसार रकम
ऊर्ध्वाधर रूप में स्तंभ 726 में कटौतीदारों के बीच आबंटनीय कुल कर
नीचे उल्लिखित कटौतीदारों के बीच आबंटनीय कुल ब्याज

कटौतीकर्ता/संदायकर्ता का नाम	
टैन	

[illegible][illegible]

सत्यापन

मैं,....., सत्यापित करता हूं कि ऊपर दी गई सभी विशिष्टियां सही और पूर्ण हैं।

स्थान:

.....

स्रोत पर कर की कटौती करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के हस्ताक्षर

तारीख:

.....

स्रोत पर कर की कटौती करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति का नाम और पदनाम

टिप्पण:

1. 'क' लिखें, यदि धारा 197 के अधीन प्रमाणपत्र के मद्दे "न्यूनतम कटौती की गई है" या "कटौती नहीं की गई है"।
2. 'ख' लिखें, यदि ग्रासअप किया गया है।
3. 'घ' लिखें, यदि कटौतीदार द्वारा [स्थायी खाता संख्या या आधार संख्या] प्रस्तुत न करने के मद्दे उच्च दर पर कटौती की गई है।
4. 'ण' लिखें, यदि धारा 194ठखक की उपधारा (2क) को ध्यान में रखते हुए कटौती नहीं की गई है।
5. 'ड' लिखें, यदि धारा 194ड के दूसरे परंतुक के अधीन जारी अधिसूचना के मद्दे कोई कटौती नहीं की गई है या न्यूनतम कटौती की गई है।
6. 'ढ' लिखें, यदि या धारा 194ड के तीसरे परंतुक में निर्दिष्ट व्यक्तियों को किए गए संदाय के मद्दे या धारा 194ड के चौथे परंतुक के अधीन जारी अधिसूचना को ध्यान में रखते हुए कर की कटौती न्यूनतम दर पर कर की कटौती नहीं की गई है।
7. 'छ' लिखें, यदि धारा 197 की उपधारा (1घ) के खंड (क) या खंड (ख) को ध्यान में रखते हुए कोई कटौती नहीं की गई है
8. धारा कोड की सूची निम्नानुसार है:

धारा	संदाय की प्रकृति	धारा कोड
192क	कर्मचारी को देय संचयित अतिशेष का संदाय	192क
194ड	अनिवासी खिलाड़ियों/खेल सहयोगनों को संदाय	94ड
194ठख	अवसंरचना ऋण निधि के व्याज से आय	4ठख
194ठखक(क)	कारबार न्यास की यूनिटों से धारा 10(23चग)(क) में निर्दिष्ट आय	ठखक 1

194 ठखक (ख)	कारबार न्यास की यूनिटों से धारा 10(23चग)(ख) में निर्दिष्ट आय	ठखक 2
194 ठखक (ग)	कारबार न्यास की यूनिटों से धारा 10(23चगक) में निर्दिष्ट आय	ठखक 3
194ठखख	विनिधान निधि की यूनिटों की बाबत आय	ठखख
194ठखग	प्रतिभूतिकरण न्यास में विनिधान की बाबत आय	ठखग
194ठग	भारतीय कंपनी से व्याज से आय	4ठग
194ठघ	कतिपय बंधपत्रों और सरकारी प्रतिभूतियों पर व्याज से आय	4 ठघ
*194ह	कतिपय रकम का नकद में संदाय	94ह
*194ह पहला परंतुक	नान-फाईलर्स को कतिपय रकम का नकद में संदाय	94ह-च
195	अनिवासी को संदेय अन्य राशि	195
196क	अनिवासियों की यूनिटों की बाबत आय	96क
196ख	आफशोर निधि की यूनिटों की बाबत आय	96ख
196ग	अनिवासी भारतीय कंपनी को संदेय विदेशी मुद्रा बांड या शेयरों से आय	96ग
196घ	विदेशी संस्थागत निवेशकों की प्रतिभूतियों से आय	96घ

9. नियम 37खग के अधीन आने वाले कटौतीकर्ताओं के मामले में, “स्थायी खाता संख्या या आधार संख्या उपलब्ध नहीं है” है उल्लिखित होना चाहिए।”

*धारा 194ह के संबंध में, परिवर्तन 1 जुलाई, 2020 से प्रभावी होंगे।

#धारा 194ण के संबंध में, परिवर्तन 1 अक्टूबर, 2020 से प्रभावी होंगे।

[अधिसूचना सं. 43/2020/फा. सं. 370142/11/2020-टीपीएल]

अंकित जैन, अवर सचिव (कर नीति और विधान प्रभाग)

टिप्पण- (1) मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में का.आ. संख्यांक 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना सा.का.नि. संख्यांक 421(अ), तारीख 30.06.2020 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया था।